न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 125 / 2023

वउनवान

1. बन्सा सिंह उर्फ हरबंस सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति सिख आयु करीब 60 साल निवासी बारोली तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)।

------ सायल

बनाम

1. सौरभ गोयल पुत्र प्रकाशचंद जाति महाजन
2. गौरव गोयल पुत्र प्रकाशचंद जाति महाजन
   निवासीयान गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)।
3. उप पंजीयक महोदय, गोविन्दगढ जिला अलवर

------ गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

श्री सोहनपाल सैनी एडवोकेट– अधिवक्ता सायल
श्री अरूण कुमार शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता गैरसायलान

आदेश

दिनांक 24.03.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.7000 है0, 355 रकबा 0.9400 है, 414 रकबा 0.0900 है0, 418 रकबा 0.9300 है, 560 / 402 रकबा 0.5300 है0, 562 / 403 रकबा 0.4000 है कुल

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

किता 6 रकबा 3.5900 वाके ग्राम बारोली तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी दावा व दरख्वास्त में विवादित आराजी है जिसे आगे चल कर आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया गया है। आराजी मुतनाजा मिन वादी/सायल एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 19 की शामलात कब्जे काश्त जोईन्ट हॉल्डिंग की आराजी है और हम वादी और प्रतिवादीगण सं0 3 लगायत 19 व महेन्द्रकौर का आज भी शामलात में कब्जा है। मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा मिन वादी सायल एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 19 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के मुताबिक कब्जा चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा का कानुनी रूप से विधिवत बंटवारा नही हुआ है। गैर सायलान सं. 1 व 2 ने महेन्द्रकौर से फर्जी तरीके से बयनामा करा लिया है। मौके पर पर गैरसायलान सं. 1 व 2 का कभी भी कब्जा नही रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने के कारण अबट आराजी को बेचान करना चाहते है। गैरसायलान सं. 1 व 2 ने मिन सायल के शांतमय कब्जे में झगड़ा किया ओर बेचान करने की धमकी दी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.7000 है0, 355 रकबा 0.9400 है, 414 रकबा 0.0900 है0, 418 रकबा 0.9300 है, 560/402 रकबा 0.5300 है0, 562/403 रकबा 0.4000 है कुल किता 6 रकबा 3.5900 वाके ग्राम बारोली तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में सायल के शांतमय कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें तथा अबट आराजी को बिना कानुनी बटवारा हुए रहन बय न करे तथा उप पंजीयक महोदय को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के संबंध में कोई भी दस्तावेज तसदीक ना करे , मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

गैर सायलान सं0 1 व 2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.7000 है0, 355 रकबा 0.9400 है, 414 रकबा 0.0900 है0, 418 रकबा 0.9300 है, 560/402 रकबा 0.5300 है0, 562/403 रकबा 0.4000 है कुल किता 6 रकबा 3.5900 वाके ग्राम बारोली तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है उक्त आराजी पर कोई विवाद नही है राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार खातेदार काबिज है। यदि महेन्द्र कौर का आराजी मुतनाजा में कोई हिस्सा है तो उसे वाद पत्र में पक्षकार क्यो नहीं बनाया गया है। यदि सायल व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 19 ही काबिज है तो 1/7 हिस्से पर कौन काबिज है। गैर सायलान सं. 1 व 2 ने कथन किया कि सायल द्वारा आराजी मुतनाजा के 1/7 भाग जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कराने के संबंध में जो कोई 420, 406 के प्रकरण के संबंध में जो तथ्य दर्ज किये है वे भी गलत है स्वीकार नही। गैर सायल 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व आधार बैयनामा दिनांक 11.06.2019 दर्ज हो चुका है। गैर सायल 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से की आराजी को रहन बय या अन्य तरीके से मुन्तकिल करने का पूरा–पूरा हक व अधिकार है। सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। सायल कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी मुतनाजा मिन वादी सायल एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 19 की शामलात कब्जे काश्त जोईन्ट हॉल्डिंग की आराजी है। आराजी मुतनाजा मिन वादी सायल एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 19 तथा महेन्द्रकौर का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के मुताबिक कब्जा चला आ रहा है। गैर सायल सं. 1 व 2 द्वारा महेन्द्रकौर से फर्जी तरीके से बयनामा

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

करा लिया एव गैरसायलान सं. 1 व 2 विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। गैरसायलान को ताफैसला दावा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने सायलान के तथ्यों का विरोध किया व कथन किया कि हम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार सह खातेदार के रूप में काबिज है। उक्त आराजी पर कोई विवाद नही है। गैर सायलान सं. 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से की आराजी को रहन बय या अन्य तरीके से मुन्तकिल करने का पूरा–पूरा हक व अधिकार है। गैर सायलान सं. 1 व 2 सद्भावी क्रेता है राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और हिस्से अनुसार काबिज है तथा कोई भी खातेदार अपने सह खातेदारों को पाबंद कराने का अधिकारी नही है। अधिवक्ता गैर सायलान ने कथन किया यदि हमने फर्जी तरीके से महेन्द्रकौर से विवादित आराजी को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाया है तो महेन्द्र कौर हमारे खिलाफ कानुनी कार्यवाही कर सकता है। यदि प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 को अस्वीकार खारिज किया जाता है तो सायल को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। अत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. सायलान खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं का अपने पक्ष में साबित करना है –

1. प्रथम दृश्टया केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल पेश की है तथा प्रार्थी/सायल अपने सह खातेदार को ताफेसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

गैरसायलान का कथन है कि विवादित आराजी का 1/7 हिस्सा महेन्द्र कौर ने गैर सायलन को जरिये वयनामा दिनांक 11.06.2019 को बेचान कर दी है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन भी हो चुका है। और तभी से अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। सायल को किस तरह से नुकसान व क्षति हो रही है इस तथ्य को सावित नहीं किया है। वादी/सायल ने कथन किया है कि गैर सायल 1 व 2 द्वारा फर्जी तरीके से महेन्द्र कौर से बयनामा करवाया है परन्तु वादी/सायल द्वारा महेन्द्र कौर का पक्षकार नही बनाया है ना ही महेन्द्र कौर द्वारा न्यायालय हाजा में कोई दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया है। जमाबन्दी के अवलोकन से गैरसायल सं0 1 व 2 विवादित आराजी का सह खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो अपार हानि व क्षति गैरसायलान को होना संभव है सायलान को किसी तरह का नुकसान क्षति व असुविधा हो रही है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है सायलान अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.07.2023 वेकेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 24.03.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)